

28.5.2025

वकील पक्षाकाशन उपस्थित। युक्ति मूल
निवाशनी आवेदन खारिज हो चुका है।
ऐसी स्थिति में यह रद्द वान प्रार्थना पत्र अब
प्रभावहीन होने से इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार डीकर
नम्बर से कम हो।


अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)